COURT FEE INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | भारत कोर्ट फीस COURT FEE दो रुपये TWO RUPEES | भारत कोर्ट फीस COURT FEE एक रुपया ONE RUPEE

केवल नकल की फीस के लिए

23-10-13

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना--पत्र देने की तिथि क्जाम वद ्पिवी चवसपवंजपवद े उंकम वित ववचल वब ्ुनंदपदमक जीम तुंनपमपजम ेजंउचे	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तिथि कंजम वि चवेजपदह दवजपवम वद दवजपबम इवंतक	नकल वापिस दिये जाने की तिथि कंजम वि कमसपअमतल वि ववचल	नकल वापिस देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर ैपहदंजनतम वि वपिबपंस कमसपअमतपदह ववचल
..-2013	23-10-13	23-10-13	23-10-13 (हस्ताक्षर) SDM

नकल आदेश दिनांक-22-05-13 द्वारा न्यायालय उपजिलाधिकारी अकबरपुर जिला-अम्बेडकर नगर। मुकदमा नं० ... धारा-112 अन्तर्गत धारा-143 ज०वि० अधि० मौजा-उल्ला निजामपुर परगना व तहसील-अकबरपुर। राजेन्द्र प्रसाद तिवारी-प्रबन्धक स्वामी रामानन्द कालेज ऑफ फार्मेसी ... तारीख फैसला-22-05-2013 ...

प्रबन्धक
स्वामी रामानन्द कालेज ऑफ फार्मेसी
उल्ला निजामपुर-अम्बेडकरनगर

न्यायालय उप जिलाधिकारी अकबरपुर,अम्बेडकरनगर।

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी प्रबन्धक एस0 डी0 जे0 पी0 महाविद्यालय--- --- ---

------- ---------------बनाम---सरकार।

वाद संख्या– 162
अन्तर्गत धारा–143ज0वि0अधिनियम
मौजा– डल्लानिजामपुर।
परगना व तहसील अकबरपुर
जनपद–अम्बेडकरनगर।

निर्णय

राजेन्द्र प्रसाद तिवारी प्रबन्धक एस0 डी0 जे0 पी0 महाविद्यालय डल्ला निजामपुर परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर ने ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के तहत इस आशय का प्रार्थना पत्र दिया गया है कि प्रार्थी ग्राम डल्लानिजामपुर परगना व तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या–649/2.466हे0 में से 1.019हे0 का सह संक्रमणीय भूमिधर है। उक्त भूमि पर महाविद्यालय का निर्माण कार्य चल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत आराजी को गैर कृषिक प्रयोजन अंकित किया जावे।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार अकबरपुर से जांच करायी गयी। तहसीलदार द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रस्तुत क्षेत्रीय लेखपाल/राजस्व निरीक्षक की आख्या को अकृषिक दर्ज किये जाने हेतु स्वीकृतार्थ अग्रसारित किया गया है। क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक की आख्या से स्पष्ट है कि ग्राम डल्लानिजामपुर परगना व तहसील अकबरपुर के गाटा संख्या–649/2.466हे0 में से 1.019हे0, जिसकी चौहद्दी उत्तर शेष गाटा 649 विश्वनाथ आदि दक्षिण नाली व 659 का शेष भाग पूरब पक्की सड़क तथा पश्चिम बाबूराम नरेन्द्र आदि स्थित हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रार्थित आराजी को ज0वि0अधिनियम एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत गैर कृषिक प्रयोजन घोषित किये जाने योग्य है, किन्तु किसी सहखातेदार द्वारा यदि कोई आपत्ति प्रस्तुत की जाती है तो सन्दर्भित आदेश बिना किसी नोटिस के वापस ले लिया जायेगा।

आदेश

अतः आदेश किया जाता है कि ग्राम–डल्लानिजामपुर परगना व तहसील अकबरपुर के खतौनी वर्ष–1417 ता 1422 फसली के खाता संख्या–536 के गाटा संख्या 649/2.466हे0 में से 1.019हे0को गैर कृषिक प्रयोजन यानी कृषि कार्य से इतर घोषित किया जाता है। आदेश की प्रमाणित प्रति उप निबन्धक अकबरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाय। तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली संचित अभिलेखागार हो।

उप जिलाधिकारी,
अकबरपुर।

प्रबन्धक
स्वामी रामानन्द कालेज ऑफ फार्मेसी
डल्ला निजामपुर-अम्बेडकरनगर